

दांसकॉर्प ग्राहक शिकायत निवारण नीति

दांसकॉर्प व्यवसाय वृद्धि को बनाए रखने और हासिल करने के लिए ग्राहक सेवा और सहायता में उत्कृष्ट और पारदर्शी दृष्टिकोण प्रदान करने में विश्वास करता है। एक सेवा प्रदाता उद्योग के रूप में, ग्राहक सेवा और ग्राहक संतुष्टि दांसकॉर्प की प्रमुख चिंताएँ हैं और इस नीति का उद्देश्य उचित सेवा वितरण और समीक्षा तंत्र के माध्यम से ग्राहक शिकायतों की घटनाओं को कम करना और विभिन्न प्रकार की ग्राहक शिकायत निवारण नीति ग्राहक शिकायतों का शीघ्र निवारण करना है। ग्राहकों की संतुष्टि हमारा मुख्य उद्देश्य है और हम स्वरूप ग्राहक संबंध बनाने और उत्कृष्ट सेवा प्रदान करने का प्रयास करते हैं।

हमारी शिकायत निवारण नीति का उद्देश्य उचित सेवा वितरण के त्वरित निवारण के माध्यम से ग्राहकों की शिकायतों और परेशानियों को कम करना है।

जैसा कि लागू आरबीआई दिशानिर्देशों के तहत आवश्यक है, दांसकॉर्प ने विभिन्न मुद्रों के संबंध में ग्राहकों की शिकायतों पर तुरंत ध्यान देने के लिए एक प्रक्रिया विकसित की है। यह एक "ग्राहक सहायता" और एक "शिकायत निवारण तंत्र" स्थापित करके किया जाता है। शिकायत निवारण पर दांसकॉर्प नीति निम्नलिखित सिद्धांतों का पालन करती है:

- प्रक्रिया में हर समय पारदर्शिता।
 - हमारे ग्राहकों के साथ हर समय विनम्र और निष्पक्ष व्यवहार।
 - किसी भी चिंता के मामले में उपयोगकर्ताओं द्वारा निःशुल्क और आसान पहुंच।
 - ग्राहकों द्वारा उठाए गए सभी मुद्रों/चिंताओं पर त्वरित और समय पर प्रतिक्रिया।
 - यदि ग्राहक अपनी शिकायतों के समाधान से संतुष्ट नहीं हैं तो उन्हें दांसकॉर्प के शीतर अपनी शिकायतों, चिंताओं और शिकायतों को बढ़ाने के चैनलों के बारे में सूचित किया जाता है।
- दांसकॉर्प प्रत्येक ग्राहक को समान रूप से महत्व देता है और सभी शिकायतों का कुशलतापूर्वक और निष्पक्षता से ध्यान रखेगा।
- दांसकॉर्प के सभी कर्मचारियों को सदृश्यावना से और उपयोगकर्ताओं के हितों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना काम करना चाहिए।
- दांसकॉर्प ग्राहकों की शिकायतें प्राप्त करने और उनका समाधान करने के लिए नए और बेहतर तंत्र हासिल करने की दिशा में लगातार काम करता है। शिकायत निवारण तंत्र का विवरण सार्वजनिक जान के क्षेत्र में रखा गया है।

सेवा से संबंधित सभी प्रश्नों और शिकायतों और चार्जबैक से संबंधित मुद्दों के लिए

विवरण	स्तर 1	स्तर 2	स्तर 3 (नोडल अधिकार)	स्तर 4 (नोडल अधिकारी के प्रधान)
नाम	कोमल शुक्ला	दीपक आहूजा	मयंक अग्रवाल	गगन दोष अवस्था
ई-मेल आईडी	cards@transcorpint.com	support.pph@transcorpint.com	nodalofficer@transcorpint.com	pno@transcorpint.com
संपर्क नंबर	93123 31145	78498 37387	93109 26506	97733 24983
			ट्रांसकॉर्प इंटरनेशनल लिमिटेड प्लॉट प्लॉट नंबर 3, एचएफ पॉकेट, सेक्टर 18ए, द्वारका, चारण- II, नई दिल्ली - 110075	ट्रांसकॉर्प इंटरनेशनल लिमिटेड प्लॉट नंबर 3, एचएफ पॉकेट, सेक्टर 18ए, द्वारका, चारण- II, नई दिल्ली - 110075
पता	राजस्थान 302001	द्वारका, चारण- II, नई दिल्ली - 110075	द्वारका, चारण- II, नई दिल्ली - 110075	द्वारका, चारण- II, नई दिल्ली - 110075

हम अपने ग्राहकों को ट्रांसकॉर्प खाते के माध्यम से लॉग इन करके और 'सहायता और समर्थन' अनुभाग का उपयोग करके हमें अपनी कवरी/शिकायत भेजने की सलाह देते हैं।
यह भी अनुशंसा की जाती है कि ग्राहक किसी विशेष मुद्दे के संबंध में हमारे साथ आगे के सभी संचार में हमारी ग्राहक सेवा टीम द्वारा प्रदान की गई शिकायत संदर्भ संख्या
लिखें। यह हमें ग्राहक और कवरी के बारे में अधिक जानकारी शीघ्रता से प्राप्त करने में सक्षम बनाता है और कवरी को तेजी से हल करने में मदद करता है।

आपके प्रश्नों, जिताऊं शिकायतों के समाधान में लगने वाला अनुमतित समय:

प्रत्येक शिकायत के लिए प्रश्नों की प्रकृति और जांच में लगाने वाले समय के आधार पर उपयुक्त समय-सीमा निर्धारित की गई है, जो उसके समाधान में शामिल होगी। यहाँ प्रश्नों/एस्ट्रेक्टेशन के विभिन्न स्तरों पर अनुमतित समय-सीमा दी गई हैं :

- उपयोगकर्ता के प्रश्न/चिंता पर पहली प्रतिक्रिया - 48 घंटे
- अनुवर्ती प्रश्न - 72 घंटे
- बढ़े हए मासले- 7 दिन
- अन्य सभी मामलों में- 15 दिन से 30 दिन (अधिकतम)

ग्राहक सहायता दिक्कतों

हम ग्राहक सहायता के उच्च मानक हासिल करने का प्रयास करते हैं। हमारे ग्राहक सहायता लक्ष्य एक मूल अवधारणा के इर्द-गिर्द घूमते हैं - ग्राहक संतुष्टि व्यावसायिक हितों से अधिक महत्वपूर्ण है।

हमारा मानना है कि अले ही हमारे पास एक भी असंतुष्ट ग्राहक हो, हमने अपने गुणवत्ता मानकों को बनाए नहीं रखा है। यही कारण है कि हम अपनी गुणवत्ता प्रबंधन प्रक्रिया को बेहतर बनाने के अवसरों की लगातार तत्त्वाश करते रहते हैं। हम नियमित रूप से उन्नत तकनीकों को अपनेड करते हैं ताकि हम शिकायतों की घटनाओं को कम कर सकें। साथ ही, हमारी प्रक्रियाएँ हमारी कॉर्पोरेट संस्कृति में उच्च ग्राहक जिम्मेदारी की आवाना को बढ़ावा देती हैं।

स्टाफ सहायता प्रशिक्षण

इस प्रकार की कॉर्पोरेट संस्कृति बनाने के लिए, हम ग्राहक सहायता का प्रबंधन करने वाली अपनी विस्तृत टीम को प्रशिक्षित करने की बहु-चरणीय प्रक्रिया का सर्थी से पालन करते हैं।

हम अपने सभी ग्राहकों को हमसे संपर्क करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं, ताकि हम उनकी चिंताओं को समझ सकें और उनकी सहायता कर सकें।

हमारा प्रतिक्रिया समय

विशिष्ट प्रकार के प्रश्नों के लिए हमारे टर्नअउंड समय का सारणीबद्ध प्रतिनिधित्व निम्नलिखित है:

प्रश्न/चिंता का प्रकार, समाधान का समय (व्यावसायिक दिनों में)

भोजन वाउचर / चिकित्सा प्रतिपूर्ति जमा करना - 2 दिन

अप्राप्त भुगतान वापसी - 2 दिन

बिल समीक्षा--2 दिन

व्यापारी का सुझाव - 3 दिन

व्यापारी निपटान - 3 दिन

आईएमपीएस/एनईएफटी आउट रिफंड- 7 दिन

अनिवार्य रूपे कार्ड भुगतान का स्वतः वापसी - 15 दिन

हमारी ग्राहक शिकायत निवारण नीति हमारे ग्राहकों से बहुमूल्य प्रतिक्रिया एकत्र करने पर कोद्रित है। हमारी नीति हमारे ग्राहकों के प्रश्नों और चिंताओं का समाधान करने के लिए प्रासंगिक प्राधिकारियों को भी नियुक्त करती है। कृपया अपनी बहुमूल्य प्रतिक्रिया टेले के लिए support.ppi@transcorpint.com पर हमसे संपर्क करें।

बढ़ी हुई ग्राहक सुरक्षा पर नीति और ग्राहक द्वारा अनधिकृत भुगतान लेनदेन से संबंधित विभिन्न पक्षों के दायित्व की रिपोर्टिंग के लिए नीति

कंपनी सभी आवश्यक प्रणालियाँ स्थापित करेगी और ग्राहक को अनधिकृत भुगतान लेनदेन से बचने के उपायों के बारे में शिक्षित करेगी।

यह नीति पीपीआई की सभी श्रेणियों पर लागू होगी, जिनमें शामिल हैं:-

। रिसोर्ट/ऑनलाइन भुगतान लेनदेन (ऐसे लेनदेन जिनमें लेनदेन के समय भौतिक पीपीआई प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं होती है जैसे वॉलेट, कार्ड नॉट प्रेजेंट (सीएनपी) लेनदेन, आदि)

॥ आमने-सामने/निकटता भुगतान लेनदेन (ऐसे लेनदेन जिनमें कार्ड या मोबाइल फोन जैसे भौतिक पीपीआई की लेनदेन के स्थान पर उपस्थिति की आवश्यकता होती है, उदाहरण के लिए बिक्री बिंदु पर लेनदेन, आदि)।

आहकों द्वारा अनधिकृत भुगतान लेनदेन की कंपनी को रिपोर्ट करना :

- i. सिस्टम यह सुनिश्चित करने के लिए बनाया जाएगा कि ग्राहक इलेक्ट्रॉनिक भुगतान लेनदेन के लिए अनिवार्य रूप से एसएमएस अलर्ट के लिए पंजीकरण करें और ई-मेल अलर्ट के लिए पंजीकरण करें।
- ii. खाते में किसी भी भुगतान लेनदेन के लिए एसएमएस अलर्ट अनिवार्य रूप से ग्राहकों को भेजा जाएगा और जहां भी पंजीकृत हो, ई-मेल अलर्ट अतिरिक्त रूप से भेजा जा सकता है। लेन-देन अलर्ट में एक संपर्क नंबर और/या ई-मेल आईडी होगी जिस पर ग्राहक अनधिकृत लेनदेन की रिपोर्ट कर सकता है या आपति को सूचित कर सकता है।
- iii. ग्राहकों को किसी भी अनधिकृत इलेक्ट्रॉनिक भुगतान लेनदेन के बारे में कंपनी को जल्द से जल्द सूचित करने की सलाह दी जाएगी और यह भी सूचित किया जाएगा कि कंपनी को सूचित करने में जितना अधिक समय लगेगा, कंपनी/ग्राहक को नुकसान होने का जोखिम उतना ही अधिक होगा।
- iv. ग्राहक सेवा को सुविधाजनक बनाने के लिए कंपनी ग्राहकों को वेबसाइट / एसएमएस / ई-मेल / अनधिकृत लेनदेन और / या पीपीआई की हालि या चोरी की रिपोर्ट करने के लिए एक समर्पित टोल-फ्री हेल्पलाइन के माध्यम से 24x7 पहुंच प्रदान करेगी।
- v. अनधिकृत इलेक्ट्रॉनिक भुगतान लेनदेन की रिपोर्ट करने के विशेष विकल्प के साथ शिकायतें दर्ज करने के लिए एक सीधा लिंक कंपनी द्वारा मोबाइल ऐप/वेबसाइट के होम पेज/किसी अन्य विकसित स्वीकृति मोड पर, जब भी निर्णय लिया जाए, उपलब्ध कराया जाएगा।
- vi. इस प्रकार स्थापित हालि/धोखाधड़ी रिपोर्टिंग प्रणाली यह भी सुनिश्चित करेगी कि ग्राहकों को पंजीकृत शिकायत संख्या के साथ शिकायत संख्या के लिए अलर्ट भेजने और उनकी प्रतिक्रिया प्राप्त करने के लिए उपयोग की जाने वाली संचार प्रणालियाँ संदेश की डिलीवरी का समय और तारीख और ग्राहक की प्रतिक्रिया की प्राप्ति, यदि कोई हो, को रिकॉर्ड करेगी। यह निर्धारित करने में महत्वपूर्ण होगा।

ग्राहक की सीमित देनदारी

अनधिकृत भुगतान लेनदेन से उत्पन्न होने वाली ग्राहक की देनदारी निम्नलिखित तक सीमित होगी

S.No.	Particulars	Maximum Liability of Customer
(a)	कंपनी की ओर से अंशदायी धोखाधड़ी / लापरवाही / कर्मी (भले ही ग्राहक द्वारा लेनदेन की रिपोर्ट की गई हो या नहीं)	शून्य
(b)	तीसरे पक्ष का उल्लंघन जहां कर्मी न तो कंपनी में है और न ही ग्राहक में, बल्कि सिस्टम में कहीं और है, और ग्राहक अनधिकृत भुगतान लेनदेन के बारे में कंपनी को सूचित करता है। ऐसे मामलों में प्रति लेनदेन ग्राहक दायित्व कंपनी से ग्राहक द्वारा लेनदेन संचार की प्राप्ति और ग्राहक द्वारा पीपीआई जारीकर्ता (कंपनी) को अनधिकृत लेनदेन की रिपोर्टिंग के बीच बीते दिनों की संख्या पर निभर करेगा -	लेनदेन मूल्य या ₹10,000/- प्रति लेनदेन, जो भी कम हो
i.	तीन दिन के अंदर	शून्य
ii.	चार से सात दिनों के भीतर#	लेनदेन मूल्य या ₹10,000/- प्रति लेनदेन, जो भी कम हो
iii.	सात दिनों से अधिक #	लेनदेन मूल्य तक
(c)	ऐसे मामलों में जहां नुकसान ग्राहक की लापरवाही के कारण होता है, जैसे कि जहां उसने भुगतान क्रेडिशियल साझा किया है, ग्राहक तब तक पूरा नुकसान वहन करेगा जब तक वह कंपनी को अनधिकृत लेनदेन की रिपोर्ट नहीं करता है। अनधिकृत लेनदेन की रिपोर्टिंग के बाद होने वाला कोई भी नुकसान कंपनी द्वारा वहन किया जाएगा।	# कंपनी से संचार प्राप्त होने की तरीख को छोड़कर ऊपर उल्लिखित दिनों की संख्या की गणना की जाएगी। उपरोक्त सभी पीपीआई धारकों को स्पष्ट रूप से सूचित किया जाएगा।

किसी ग्राहक की शैक्षण्य देनदारी/सीमित देनदारी के लिए रिवर्सल टाइमलाइन

ग्राहक द्वारा सूचित किए जाने पर, कंपनी ग्राहक द्वारा ऐसी अधिमूल्यना की तरीख से 10 दिनों के भीतर अनाधिकृत इलेक्ट्रॉनिक भुगतान लेनदेन में शामिल राशि को ग्राहक के पोपीआई में क्रेडिट (नोशनल रिवर्सल) करेगी (बीमा दावे के निपटान की प्रतीक्षा किए बिना, यदि कोई भी), अले ही ऐसा उल्टाव पोपीआई के उस प्रकार/श्रेणी पर लागू। अधिकतम अनुमेय सीमा का उल्लंघन करता हो। क्रेडिट का मूल्य-दिनांक अनाधिकृत लेनदेन की तिथि के अनुसार होगा।

इसके अलावा, कंपनी यह सुनिश्चित करेगी कि शिकायत का समाधान हो जाए और ग्राहक का दायित्व, यदि कोई हो, शिकायत प्राप्त होने की तरीख से 90 दिनों (अधिकतम) के भीतर स्थापित हो जाए, और ग्राहक को उपरोक्त नीति के अनुसार सुआवजा दिया जाए। यदि कंपनी 90 दिनों के भीतर शिकायत को हल करने या ग्राहक दायित्व, यदि कोई हो, निर्धारित करने में असमर्थ है, तो ऊपर निर्धारित राशि का भुगतान ग्राहक को किया जाएगा, अले ही लापरवाही ग्राहक की ओर से हो या अन्यथा।